भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 4120

19 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

लैंड पूलिंग नीति और दिल्ली मास्टर प्लान 2041

†4120. श्री योगेन्द्र चांदोलियाः
श्री रामवीर सिंह बिधूड़ीः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में मास्टर प्लान 2041 और लैंड पूलिंग नीति को लागू करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) दिल्ली में मास्टर प्लान 2041 और लैंड पूलिंग नीति की अधिसूचना और कार्यान्वयन की समय-सीमा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में मास्टर प्लान 2041 और लैंड पूलिंग नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने दिल्ली में मास्टर प्लान 2041 और लैंड पूलिंग नीति के कार्यान्वयन के संभावित लाभों और चुनौतियों की पहचान करने के लिए कोई अध्ययन या आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र दिल्ली में मास्टर प्लान 2041 और लैंड पूलिंग नीति के कार्यान्वयन के संबंध में नागरिकों, डेवलपरों और अन्य इच्छुक पक्षों जैसे सभी हितधारकों की चिंताओं और शिकायतों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उठाए गए हैं/उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ख): दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार मंत्रालय द्वारा अंतिम अधिसूचना जारी करने और अनुमोदन के लिए दिनांक 13.04.2023 को दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी)-2041 के प्रारूप दस्तावेजों को अनुलग्नकों के साथ मंत्रालय को भेज दिया है। एमपीडी-2041 का प्रारूप दिल्ली के भावी नियोजित विकास को निर्देशित करने के लिए एक नीतिगत फ्रेमवर्क दस्तावेज है, जो पिछली

योजनाओं के कार्यान्वयन से ली गई सीख पर आधारित है। इस दस्तावेज में कई जटिल मुद्दे शामिल हैं, जिनके लिए विस्तृत विश्लेषण और हितधारकों से परामर्श की आवश्यकता है, जो वर्तमान में किया जा रहा है। एमपीडी-2041 के प्रारूप दस्तावेज को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में समय लगना है। चूंकि, यह मामला अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे अंतिम रूप देने की प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

जहां तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लैंड पूलिंग नीति का संबंध है, सरकार ने दिनांक 05.09.2013 को का.आ. 2687 के माध्यम से भूमि नीति 2021 को अधिसूचित किया था, आगे संशोधित नीति को दिनांक 11.10.2018 को का.आ. 5220 (अ) के माध्यम से अधिसूचित किया गया था और भूमि नीति के संचालन के लिए विनियमों को डीडी अधिनियम, 1957 की धारा 57 के तहत दिनांक 24.10.2018 को का.आ. 5384 के माध्यम से डीडीए द्वारा अधिसूचित किया गया था।

इस नीति का सफल कार्यान्वयन भूमि मालिकों की स्वैच्छिक भागीदारी के साथ-साथ संघ के गठन, समीपता आदि जैसी बाधाओं को दूर करने पर आधारित है। संघ के गठन को बढ़ावा देने के लिए, मंत्रालय ने उन क्षेत्रों को संघ के गठन के लिए अनंतिम नोटिस जारी करने की मंजूरी दी है, जिन्होंने 70% पूलिंग कर ली है, लेकिन भूमि की समीपता हासिल नहीं की है।

(ग): एमपीडी-2041 का क्रियान्वयन एमपीडी-2041 के मसौदे को अंतिम रूप दिए जाने और अधिसूचित किए जाने के बाद किया जाएगा। लैंड पूलिंग नीति के प्रभावी क्रियान्वयन और भूमि मालिकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए, डीडीए द्वारा अब तक 105 लैंड पूलिंग गांवों में 26 फील्ड कैंप आयोजित किए गए हैं। संघ के गठन में कठिनाई, समीपता, कई स्टांप ड्यूटी आदि जैसे मुद्दों के लिए मंत्रालय ने डीडीए सहित हितधारकों के साथ चर्चा की है।

(घ): दिल्ली में एम.पी.डी.-2041 और लैंड पूलिंग नीति के कार्यान्वयन के संभावित लाभों और चुनौतियों की पहचान करने के लिए कोई अलग अध्ययन या मूल्यांकन नहीं किया गया है।

(ङ): एम.पी.डी.-2041 का कार्यान्वयन इसकी अंतिम अधिसूचना के बाद विभिन्न सेवा प्रदाता एजेंसियों/स्थानीय निकायों के माध्यम से किया जाएगा।

दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी)-2041 के प्रारूप की तैयारी के दौरान, सभी शहरी स्थानीय निकायों, विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार के विभागों के साथ परामर्श किया गया और इसके अलावा आम जनता, व्यावसायिक निकायों, आरडब्ल्यूए/फेडरेशन, गैर-सरकारी संगठनों, जन प्रतिनिधियों आदि के साथ सार्वजनिक परामर्श किया गया।

साथ ही, एम.पी.डी.-2041 का प्रारंभिक मसौदा 75 दिनों के लिए जनता से आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था। सार्वजनिक नोटिस के जवाब में, लगभग 34000 आपत्तियां/सुझाव प्राप्त हुए और उन्हें जांच एवं सुनवाई बोर्ड (बी.ओ.ई.एच.) के विचारार्थ रखा गया।

लैंड पूलिंग नीति के संबंध में संघ के गठन, समीपता जैसी बाधाओं का ध्यान रखा जा रहा है।

*****